

आज्ञा-पत्र

कमल कुमार आदि बनाम जगदीश प्रसाद आदि  
पत्रावली संख्या 28@2022 विषय-धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि०वि०
06.09.2023	<p>पत्रावली पेशी पर ली गयी । अपीलांत अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित । रेस्पों० अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील सं० 12/2022 अनुवानी कमल कुमार आदि बनाम जगदीश आदि में निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं० 1186/2022 प्रस्तुत की गयी जिस पर उभय पक्षों की बहस के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंटान द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ को उभय पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह में निर्णय पारित करावें । अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10.03.2022 को निरस्त कर दिया गया है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र निस्तारित करने हेतु आदेशित कर दिया गया है तो इस न्यायालय में यह अपील चलने योग्य नहीं है ।</p> <p>वादगत प्रकरण अपील सं० 28/2022 अनुवानी कमल कुमार आदि बनाम जगदीशप्रसाद आदि में ख०न० 448 तादादी 0.9232 हैक्टैयर रोही कस्बा राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरु से संबंधित है व अपील सं० 12/2022 भी इसी खसरा नम्बर से संबंधित है दोनो अपीलों में पक्षकार व भूमि भी समान है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में दो अलग अलग दावे चल रहे है । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी सं० 1186/2022 निर्णय दिनांक 19.06.2023 में प्रकरण को सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निर्णित करने हेतु प्रेषित किया है ।</p> <p>अतः न्यायहित में प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए वादगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई व साक्ष्य सबुत का अवसर प्रदान करते हुये दावे में शीघ्र निर्णय पारित करावें ।</p> <p>अतः अपील को इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p>(अशोक सांगवा) भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर</p>	

